


**::स्थायीकरण आदेशः**

संस्था प्रधानाचार्यो द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 एवं समूह घ कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 नियम-22 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को सन्तोषजनक रूप में पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख पद पर स्थायी किया जाता है:-

**स्वीपर**

क्र० सं०	कार्मिक का ना	सीधी भर्ती के पद का नाम
(01)	(02)	(03)
01	श्री सोमपाल	स्वच्छक
02	श्री रामू बाल्मिकी	जमादार
03	श्रीमती राधा	स्वच्छक
04	श्री राजीव कुमार	स्वीपर कम चौकीदार
05	श्री अशोक कुमार	स्वीपर
06	श्री राजपाल	स्वीपर कम चौकीदार
07	श्री अनिल कुमार	स्वच्छक
08	श्री अमित कुमार	स्वीपर कम चौकीदार
09	श्री चन्द्र पाल	स्वीपर कम चौकीदार
10	श्री रमेश पाल	स्वीपर

2-उपरोक्त आदेश के क्रमवार से ज्येष्ठता का कोई सम्बन्ध नहीं है।

  
(हरि सिंह)  
निदेशक।


**प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)**

पृ०सं०-4010-13 / नि०प्रा०शि० / स्था०-31 / 2020-21

दिनांक 02 दिसम्बर 2020

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त, प्रधानाचार्य, राजकीय/महिला/ग्रामीण पालीटेक्निक, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी, कोषागार।
- 3-सम्बन्धित कार्मिक को प्रधानाचार्य के माध्यम से।
- 4-गार्ड फाइल।

  
(हरि सिंह)  
निदेशक।